

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./प्रशि./आईएपीएंडएम/2017/663

भोपाल, दिनांक 07/11/2017

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
मध्य प्रदेश


समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधिक्षक
मध्य प्रदेश

विषय : इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट के 66वें वार्षिक अधिवेशन (APCON'2017) में भाग लेने के संबंध में अनुमति बाबद्।

संदर्भ : संचालनालय का पत्र क्र./प्रशि./आईएपीएंडएम/2017/637 दिनांक 25/10/2017

कृपया उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र का अवलोकन करे जिसके द्वारा इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट के 66वें वार्षिक अधिवेशन दिनांक 6-10 दिसम्बर 2017 तक गाँधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल में भाग लेने के संबंध में पैथोलॉजिस्ट को अनुमति प्रदान करने के संबंध में निर्देश दिये गये थे। पूर्व में जारी निर्देशों को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है-

1. अधिवेशन में भाग जिले से कम से कम एक पैथोलॉजिस्ट को भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाये।
2. अधिवेशन में भाग लेने पर पैथोलॉजिस्ट को विशेष अवकाश एवं नियमानुसार यात्रा-भत्ता की पात्रता होगी।
3. अधिवेशन में भाग लेने पर पंजीयन शुल्क का भुगतान विभाग द्वारा किया जाएगा, अधिवेशन के दौरान प्रतिभागियों को सी.एम.ई. सेशन में भाग लेना अनिवार्य होगा।


(राकेश मुंशी)

संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्र./प्रशि./आईएपीएंडएम/2017/664

भोपाल, दिनांक 07/11/2017

प्रतिलिपि: कृपया सूचनार्थ

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. डॉ0 एम सी सोनगरा, डीन, गाँधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल।
4. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
5. डॉ0 रीनी मलिक, प्रोफेसर एवं हेड, पैथोलॉजी विभाग, गाँधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल। अधिवेशन में भाग लेने वाले पैथालॉजिस्ट की सूची उपलब्ध कराने पर संबंधित प्रतिभागियों के लिये पंजीयन शुल्क का भुगतान विभाग द्वारा किया जाएगा।
6. अपर संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
7. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।

संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश